पूंजी लाभ-I Capital Gains-I
(पूंजी लाभ, पूंजी संपत्ति एवं पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण)

By-

Dr. Ravi Agarwal
Assistant Professor,
Department of Commerce,
Maharana Prtap Government PG College, Hardoi

पूंजी लाभ से आशय

- पूंजी लाभ आय का एक महत्वपूर्ण शीर्षक है। आयकर अधिनियम की धारा 45(1) के अनुसार किसी पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण से होने वाला लाभ पूंजी लाभ कहलाता है।

पूंजी लाभ से आशय...

- सामान्यतः जिस गत वर्ष में किसी पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण किया जाता है, पूंजी लाभ उस गत वर्ष की आय में शामिल होता है।
- कुछ विशेष स्थितियों जैसे-सरकार द्वारा भूमि का अनिवार्य अधिग्रहण में पूंजी लाभ उस गत वर्ष में कर योग्य होता है, जिस गत वर्ष में प्रतिफल प्राप्त होता है।

By-Dr. Ravi Agarwal

पूंजी लाभ पर कर निर्धारण

- सामान्य परिस्थितियों में यदि पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण से होने वाला पूंजी लाभ धारा 54, 54B, 54D, 54EC, 54F, 54G, 54GA के अंतर्गत करमुक्त नहीं है, तो यह हस्तांतरण होने वाले गत वर्ष में ही कर योग्य होता है।

पूंजी लाभ पर कर निर्धारण...

- पूंजी लाभ पर गत वर्ष में कर योग्य आय का निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित बिंदु आवश्यक हैं-

1. करदाता पूंजी संपत्ति का स्वामी हो
2. करदाता द्वारा पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण होना
3. हस्तांतरण गत वर्ष में किया जाना
4. हस्तांतरण के परिणामस्वरूप लाभ अर्जित होना
5. हस्तांतरण से होने वाला लाभ धारा 54, 54B, 54D, 54EC, 54F, 54G, 54GA के अंतर्गत कटौती योग्य न होना

By-Dr. Ravi Agarwal

पूंजी संपत्ति (Capital Assets)

- धारा 2(14) के अनुसार एक भारतीय निवासी व्यक्ति की ऐसी कोई भी संपत्ति जोकि उसके व्यापार या पेशे से संबंधित नहीं है पूंजी संपत्ति मानी जाती है।
- पूंजी संपत्ति में निम्नलिखित संपत्तियां शामिल नहीं की जाती हैं-

1. व्यापारिक रहतिया या स्टॉक

पूंजी संपत्ति (Capital Assets)...

2. व्यक्तिगत प्रयोग की चल संपत्तियां (किंतु बहुमूल्य धातु या पत्थर, आभूषण, पुरातत्व संग्रह, कलाकृति, मूर्ति, चित्रकारी को पूंजी संपत्ति माना जाता है)
3. ग्रामीण क्षेत्र में स्थित कृषि भूमि
4. स्वर्ण बांड
5. स्वर्ण जमा बॉन्ड
6. विशेष धारक बॉन्ड

By-Dr. Ravi Agarwal

पूंजी संपत्ति के प्रकार

- करदाता द्वारा किसी पूंजी संपत्ति को हस्तांतरण करने से पूर्व धारण (रखने) की अवधि के आधार पर दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है-

1. **अल्पकालीन पूंजी संपत्ति**
2. **दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति**

अल्पकालीन पूंजी संपत्ति

- धारा 2(42A) के अनुसार ऐसी पूंजी संपत्ति जोकि करदाता के पास हस्तांतरण करने की तिथि से पूर्व 36 माह से अधिक न रखी हो अल्पकालीन पूंजी संपत्ति मानी जाती है।
- अर्थात सामान्यत: ऐसी पूंजी संपत्तियां जोकि करदाता हस्तांतरण करने से पूर्व **36 माह** या उससे कम अवधि तक रखता है अल्पकालीन पूंजी संपत्ति होती हैं।

By-Dr. Ravi Agarwal

अल्पकालीन पूंजी संपत्ति

- **अचल संपत्तियां** जैसे- भूमि व भवन तथा **गैर-सूचीबद्ध प्रतिभूतियों** के लिए यह अवधि 24 माह होती है।
- **वित्तीय संपत्तियों** जैसे-सूचीबद्ध अंश, ऋण पत्र या प्रतिभूति, जीरो कूपन बॉन्ड, यू.टी.आई. के यूनिट्स, इक्विटी म्यूच्यूअल फंड के यूनिट्स के लिए यह अवधि 12 माह होती है।

By-Dr. Ravi Agarwal

दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति

- सामान्यत: ऐसी पूंजी संपत्तियां जिनका हस्तांतरण करदाता **36** माह रखने के पश्चात करता है, दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति मानी जाती हैं।
- **अचल संपत्तियों** तथा **गैर सूचीबद्ध प्रतिभूतियों** की दशा में यह अवधि **24 माह** तथा **वित्तीय प्रकृति** की पूंजी संपत्तियों के लिए यह अवधि **12** माह होती है।

By-Dr. Ravi Agarwal

अन्य महत्वपूर्ण तथ्य

- पूंजी संपत्ति को रखने की अवधि की गणना में हस्तांतरण की तिथि को छोड़ दिया जाता है।
- उपहार, वसीयत, उत्तराधिकार या विरासत में प्राप्त पूंजी संपत्तियों के संबंध में पूर्व स्वामी द्वारा संपत्ति को रखने की अवधि को शामिल करते हुए अल्पकालीन या दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति का निर्धारण किया जाता है।

अन्य महत्वपूर्ण तथ्य

- ऐसी पूंजी संपत्तियां जिन पर क्रमागत ह्रास विधि (W.D.V.) के आधार पर ह्रास की गणना की जाती है, उनके हस्तांतरण से होने वाला पूंजी लाभ सदैव अल्पकालीन पूंजी लाभ होता है।
- ऐसी संपत्तियों में संपत्ति धारण करने (रखने) की अवधि नहीं देखी जाती है।

अन्य महत्वपूर्ण तथ्य

- अल्पकालीन पूंजी संपत्तियों के हस्तांतरण से होने वाला लाभ, अल्पकालीन पूंजी लाभ एवं दीर्घकालीन पूंजी संपत्तियों के हस्तांतरण से होने वाला लाभ दीर्घकालीन पूंजी लाभ कहलाता है।

पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण

- धारा-2(47) के अनुसार एक व्यक्ति के लिए गत वर्ष में मुख्यतः निम्नलिखित व्यवहारों को हस्तांतरण में शामिल किया जाता है-

1. संपत्ति का विक्रय, विनिमय या समर्पण (त्याग)
2. संपत्ति पर अधिकार की समाप्ति

पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण...

3. किसी अधिनियम के अंतर्गत संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण
4. करदाता द्वारा पूंजी संपत्ति को व्यापारिक माल में परिवर्तित करना
5. जीरो कूपन बॉन्ड की परिपक्वता या शोधन
6. किसी अचल संपत्ति को प्रयोग करने के अधिकार का हस्तांतरण

By-Dr. Ravi Agarwal

ऐसे व्यवहार जिन्हें हस्तांतरण नहीं माना जाता

- धारा-47 के अंतर्गत एक व्यक्ति व हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) की दशा में निम्नलिखित व्यवहारों को पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण नहीं माना जाता है-

1. हिंदू अविभाजित परिवार के पूर्ण या आंशिक विभाजन पर पूंजी संपत्ति का वितरण
2. साझेदारी फर्म, व्यक्तियों का संघ, या अन्य किसी व्यक्तियों के समूह का विघटन होने पर पूंजी संपत्तियों का वितरण

By-Dr. Ravi Agarwal

ऐसे व्यवहार जिन्हें हस्तांतरण नहीं माना जाता...

3. भेंट, उपहार या वसीयत के अंतर्गत पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण

4. कला संग्रह, पुरातत्व संग्रह, पेंटिंग, पांडुलिपि, चित्रकारी, प्राचीन पुस्तक, वैज्ञानिक संग्रह आदि का सरकार, विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय संग्रहालय, अभिलेखागार, आर्ट गैलरी या सरकार द्वारा अनुमोदित किसी संस्थान को किया जाने वाला हस्तांतरण।

By-Dr. Ravi Agarwal

your suggestions and queries are always welcome at-

raviagarwalko@gmail.com

or

09451176185

Thank You !